कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स–2/60115/इन्सपायर अवार्ड/2017–18/ दिनांक : 7-6-17

स्मरण पत्र

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

विषय :– **इन्सपायर अवार्ड–मानक सत्र 2017–18 विद्यार्थी नॉमिनेशन दिनांक 30 जून, 2017 तक अनिवार्यतः करने बाबत।**

प्रसंग :– **विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग का पत्र क्रमांक 12011/71/2015–INSPIRE दिनांक 30.03.2017**

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक के क्रम मे लेख है कि जैसा कि आप सभी को पहले से अवगत है कि इन्सपायर अवार्ड स्कीम का स्वरूप बदल दिया गया है अब यह स्कीम इन्सपायर अवार्ड–मानक के नाम से कुछ नये स्वरूप में सत्र 2017–18 में क्रियान्वित होगी।

वर्ष 2017–18 में ऑनलाईन नॉमिनेशन E-MIAS पर 30.06.2017 तक प्रत्येक विद्यालय के लिए खुले रहेंगे। आप अपने जिले के समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को नवीन योजना के संबंध मे निर्देशित करते हुए समस्त विद्यालयों से विद्यार्थियों का नोमिनेशन करवाना सुनिश्चित करें।

वर्ष 2017–18 मे किए जाने वाले कार्य हेतु निम्न बिन्दुओ का विशेष ध्यान रखें :–

1. आपके जिले के वे विद्यालय जो कि ई–मेनेजमेन्ट ऑफ इंसपायर अवार्ड स्कीम (E-MIAS) सिस्टम पर रजिस्टर्ड नही है उन्हे संबंधित पोर्टल (www.inspireawards-dst.gov.in) पर रजिस्टर करने हेतु अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देशित करे ताकि समस्त छात्र/छात्राओं का नॉमिनेशन विद्यालय द्वारा इस स्कीम हेतु किया जा सके। नॉमिनेशन प्रक्रिया के पश्चात DST एवं NIF द्वारा चयनित विद्यार्थियों के खाते मे रु 5000 डीबीटी द्वारा जमा करवा दिए जाएंगे।

2. इस वर्ष से विद्यार्थी का नॉमिनेशन उनके द्वारा दिए गए innovative idea की गुणवत्ता के अनुसार होगा न कि गत वर्षो से चली आ रही गणित + विज्ञान में अर्जित किए अधिकतम प्राप्तांको की परिपाटी के आधार पर। इस हेतु संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियो को नवीन idea प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करे तथा विद्यालय स्तर पर प्रदर्शनी आयोजित कर कक्षा 6 से 10 तक के सर्वोत्कृष्ट 2–3 ideas को नॉमिनेट कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियो मे स्वस्थ प्रतियोगी भावना का विकास होगा और हमे उत्तम ideas प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही इस वर्ष से प्रत्येक विद्यालय (राजकीय, गैर राजकीय अनुदानित या गैर अनुदानित, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या लोकल बॉडिज द्वारा संचालित) हर वर्ष अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का नॉमिनेशन कर सकेगा, पूर्व मे यदि एक बार नॉमिनेशन कर दिया है तो पंचवर्षीय योजना मे अग्रिम वर्षो मे विद्याालय के छात्रो को इंसपायर अवार्ड प्राप्त नही हो पाता था परन्तु अब से यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है।

www.rajteachers.com

3. यह भी ध्यान रखे कि इस वर्ष से विद्यार्थियो को नॉमिनेट करते समय उनके innovative idea का सारांश (synopsis) word या pdf format मे अपलोड करना आवश्यक है। इसको अपलोड न करने की स्थिति मे विद्यार्थी का चयन योजना मे नही किया जा सकेगा तथा संस्था प्रधान से इसका कारण भी पूछा जा सकता है।
4. जिला स्तरीय इंसपायर अवार्ड प्रदर्शनी मे चयनित हो कर राज्य स्तरीय इंसपायर अवार्ड प्रदर्शनी मे भाग लेने वाले विद्यार्थियो मे से 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन कर उन्हे अपने innovative idea को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 20,000 रु पुनः उनके खाते मे डीबीटी द्वारा जमा करवा दिए जाएंगे। विद्यार्थी के idea को मॉडल के रूप में लाने के लिए NIF के वैज्ञानिक विद्यार्थी की साहयता करेंगे।
5. उक्त चयनित मॉडल राष्ट्र स्तरीय इंसपायर अवार्ड प्रदर्शनी मे भाग लेंगे। इस प्रदर्शनी मे चयनित कतिपय नवाचारी मॉडल विद्यार्थी के नाम से पेटेन्ट कराने मे TIFAC नामक संस्था विद्यार्थियो का मार्गदर्शन एवं सहायता करेगी।

विज्ञान एवं प्रौघौगिकी विभाग द्वारा इंसपायर अवार्ड मानक हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व मे वर्णित प्रशिक्षण एवं कार्यशाला मे आपके जिले के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक प्रकोष्ठ को दिए जा चुके हैं। वे अपने दायित्व का पूर्ण मनोयोग से पालन करते हुए जिले मे वर्ष 2017–18 का इंसपायर अवार्ड संबंधित समस्त कार्य सम्पादित करावें।

इस वर्ष गत सत्र के राष्ट्र स्तरीय विजेता राजस्थान राज्य के 04 विद्यार्थी इंसपायर अवार्ड कार्यक्रम के मार्फत Sakura Student Exchange Program में जापान की यात्रा पर गए थे। इस सत्र 2017–18 में ये विद्यार्थी आपके विद्यालय के हों यह प्रयास पूर्ण मनोयोग से करें।

07/6/17

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रतिलिपि :–
1. संयुक्त सचिव,विज्ञान एवं प्रौघोगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौघोगिकी मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भिजवाकर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ जिला कार्यालयों को उक्त समस्त कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
4. रक्षित पत्रावली।

07/6/17

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com